पत्रिका

सीबीआई ने पूछताछ के बाद अनिल गुप्ता को कोर्ट में किया पेश

फर्जी जीएसटी अधिकारी को भेजा जेल

रायपुर@पत्रिका. सीबीआई ने 5 लाख की रिश्वत लेने वाले फर्जी जीएसटी अधिकारी अनिल गुप्ता को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पूछताछ के बाद सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी हैं। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर प्रकरण में आगे की जांच होगी। आरोपी अनिल को 7 जुलाई को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था।

अनवर और टुटेजा को 4 तक भेजा जेल

कस्टम मिलिंग घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान ईओडब्ल्यू ने बताया कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। दोनों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच होगी। विशेष न्यायाधीश ने जांच एजेंसी द्वारा किसी भी तरह का आवेदन नहीं लगाने पर 4 अगस्त तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

नवनीत से पूछताछ होगी

ईओडब्ल्यू ने कोयला घोटाले में गिरफ्तार किए गए नवनीत तिवारी को 25 जुलाई तक पूछताछ करने रिमांड पर लिया है। सोमवार को उसे विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस प्रकरण में जेल भेजे गए सूर्यकांत तिवारी ने अपने भाई को कोरबा और रायगढ़ में कोयला की अवैध वसूली का काम दिया। वहां 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से वसूली करने की जानकारी मिली है। इसे एकत्रित कर सिंडिकेट में शामिल सभी लोगों तक पहुंचाया जाता था।

22/07/2025 | Raipur City | Page : 6
Source : https://epaper.patrika.com/